-प्रेस नोट-

दिनांकः 11-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 08 घंटे में हत्या का प्रयास व फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार , कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध अस्लाह बरामद

बरामदगी-

- **02 तमंचे 315 बोर**
- **02 खोखा /02 जिंदा कारतूस 315 बोर**

अवगत कराना है कि दिनांक 23.06.2024 को वादी शानुरहमान पुत्र अखतर निवासी मौ0 पटियान अम्बेहटापीर थाना- नकुड जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. आहद पुत्र जिन्दा निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.सलीम पुत्र मुनफैद निवासी मौ0 नयाबांस कस्बा अम्बहेटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा वदी के साथ पैसो के लेन देन को लेकर हुई कहासुनी के कारण वादी की दुकान/घर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0- धारा- 323/307/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर फायरिंग की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की शीध्र गिरफ्तारी हेतु दिशा -निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.06.2024 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद दो अभियुक्तगण 1. आहद पुत्र जिन्दा निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.सलीम पुत्र मुनफैद निवासी मौ0 नयाबांस कस्बा अम्बहेटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को कस्बा अम्बेहटापीर से इस्लामनगर की तरफ जाने वाले रोड पर बने कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे 315 बोर, 02 खोखा/ 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त आहद ने बताया कि मैं पहले भी कई बार जेल जा चुका हूँ। मेरी जमानत कराने के लिये मेरे परिवार वालो ने कस्बे के ही रहने वाले युनुस से 50 हजार रूपये उधार लिये थे। युनुस व उसके परिवार के लोग अपने बार – बार उधार दिये 50 हजार रुपये वापस मांग रहे थे, लेकिन पैसों की व्यवस्था न होने के कारण मैं पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। दिनांक 22.06.2024 की दोपहर में युनुस का भतीजा अबरार पुत्र अख्तर मेरे घर पर मुझसे रूपये वापस मांगने के लिये आया जिस कारण मेरी उसके साथ कहासुनी हो गयी थी, फिर रात के करीब 09.00 बजे युनुस ने मुझसे फोन करके पुनः मुझसे रूपये वापस मांगते हुए मुझे चेतावनी दी,

जिस कारण मुझे क्रोध आ गया और मैंने युनुस के परिवार को सबक सिखाने की ठान ली। मैंने अपने साथी सलीम के साथ राय मशविरा करके हम दोनो ने दिनांक 23.06.2024 को दिन में करीब 2.00 बजे युनुस के घर के पास पहुँचकर दुकान पर मौजूद उसके भतीजे शानू रहमान पुत्र अख्तर को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग कर दी लेकिन शानू रहमान बचकर भाग गया। फिर हम दोनों अपने अपने तमन्चा कारतूस लेकर वहाँ से भाग गये थे और रात्री में कहीं बाहर जाने के लिये इस्लामनगर रोड पर कब्रिस्तान के पास खड़े थे तभी पुलिस ने हमको पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1.आहद पुत्र जिन्दा निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2.सलीम पुत्र मुनफैद निवासी मौ0 नयाबांस कस्बा अम्बहेटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त आहद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 146/23 धारा 120 बी /392/411 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 240/23 धारा 307/504 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 259/23 धारा 25/27/3 आयुध अधि0 चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 370/23 धारा 2/3 गिरोहबन्द अधि0 चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 192/24 धारा 323/504/506/307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 02 तमंचे 315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अश्वनी शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 2396 आकाश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गिया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.06.2024 को वादी की तहरीर पर अभियुक्त कैफ उर्फ सोनू पुत्र शहजाद निवासी जौली थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को तंग करना व उसकी अश्लील फोटो दिखाकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करना व वादी को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 304/2024 धारा 376N/506 भादवि व 5L/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश - निर्देश दिए। आदेशो के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षण श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **कैफ उर्फ सोनू पुत्र शहजाद निवासी जौली थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर** को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कैफ उर्फ सोनू पुत्र शहजाद निवासी जौली थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 खूब सिह थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
2. का0 2183 संजू सैन थाना देवबंद जिला सहारनुर।
3. का0 2233 द्विवेश कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 24.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहर्ता को किया गया सुकशल बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 18.06.2024 को वादी ने एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्त नीशु पुत्र सुरेश निवासी ग्राम रणखंडी, थाना देवबंद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 312/2024 धारा 366 भदावि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अपर्हता की सकुशल बरामदी व अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी देवबंद श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा अपहर्ता को पीलर न0 10 बस अड्डा देवबंद के पास से सकुशल बरामद किया गया एवं पीडिता के धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान अंकित कराते हुये अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. म0का0 310 राखी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर ।
3. हे0का0 338 रविन्द्र गिरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 24.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा सरकारी विभागो में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार युवको को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी से पैसा हड़पने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 22.10.2023 को वादी श्री अक्षय कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम असदपुर करन्जाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव पुत्र जगदीश शरण आदि नें कुल 44 लाख 50 हजार रूपये सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करके पैसा ठगी करने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 724/23 धारा 420/406 भा0द0वि0 बनाम दीपक श्रीवास्तव आदि 03 अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया व दिनांक 12.01.2024 को वादी श्री प्रशान्त कुमार पुत्र मुनेश कुमार नि0 चौरा खुर्द थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव उपरोक्त द्वारा वादी से धोखाधडी करके नौकरी लगवाने के नाम पर 20 लाख रूपये ले लेना व वापस न करने के सम्बन्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 14/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि के पंजीकृत कराया गया । ज्ञात हो कि प्रकरण में 04 अभियुक्तगण (1) विशाल पुत्र राजकुमार निवासी राजा बाजार शकुन्तला अपार्टमेन्ट नियर प्राचीन हनुमान मंदिर थाना राजाबाजार, जिला पटना (बिहार) हाल पता ए-9 फ्लैट नं0 1901 पंचतत्व अपार्टमेन्ट ग्रेटर नोएड़ा (उ0प्र0), (2) दीपक श्रीवास्तव पुत्र जगदीश शरण निवासी सहाबुद्दीन रोड नया रामपुरी गेट नं0 03 मकान नम्बर 14 जनपद मुजफ्फरनगर, (3) तुषार उपाध्याय पुत्र सुबोध कुमार निवासी म0नं0-100 सैनी नगर खतौली कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर, (4) सलाउद्दीन पुत्र मंगलुद्दीन निवासी पूर्वी मुस्तफाबाद लोनी देहात थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को दिनांक 15.02.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द व थाना गागलहेड़ी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा "सरकारी विभागो में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार युवको को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी से पैसा हड़पने वाले अन्तराज्यीय गिरोह के वांछित अभि0 सूरज कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम विधिपुर थाना सालिमपुर जिला पटना (बिहार) को अभियुक्त के मस्कन ग्राम विधिपुर थाना सालिमपुर जनपद पटना बिहार से गिरफ्तार किया गया। वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्या0 भेजा गया।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र संजय कमार निवासी विधिपुर थाना सालिमपुर जनपद पटना बिहार ने पूछने पर बताया कि मै नोएडा में रहकर जियो कम्पनी में काम करता हूं। नोएडा में ही मुझे हमारा एक अन्य साथी विशाल मिला था। उसने मुझे बताया तुम मुझे अपने खाते के एटीएम दे दो उसमें मुझे रूपये मंगाने है, मै जल्दी ही काल सैन्टर खोलने वाला हूं, जिसमें हमारी आपस में पार्टनरशिप रहेगी। जब भी मै अपने खाते का स्टेटमेंट देखकर उससे अपने खाते में हुई बडी बडी ट्रांजेक्शन के बारे में पूछता को वह मुझे खर्चे पानी के रूपये दे देता था। जिससे मै मौज मस्ती कर लेता था। कई बार कई अजांन लोगो से विशाल में मुझे रूपये रिसीव भी कराये थे। जिनके एवज वह मुझे कमीशन देता

था। हमारे अन्य साथी सूजीत के नाम का जो खाता था उसका एटीएम भी उसका भाई विकास उर्फ आकाश ही प्रयोग करता था, वह ही उससे रूपये निकालता था। कई सारे लोगो के नियुक्ति पत्र विशाल ने मुझे उनके एड्रेस पर पोस्ट करने के लिये भी देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

सूरज कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम विधिपुर थाना सालिमपुर जिला पटना (बिहार)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

4. प्रभारी निरीक्षक श्री अनित यादव थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. उ0नि0 विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
6. है0का0 405 गौरव राठी स्वाट टीम पुलिस लाईन सहारनपुर
7. कम्प0आप0 रूपेन्द्र सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
8. का0976 गौरव दांगी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।